न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवंपदेनराजस्वअपीलअधिकारीउदयपुर

पीठासीनअधिकारी :–अनीतामीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 2/2020(बांसवाड़ाआर्डर)

श्रीमतीकेसरपत्नीहुरजी, जातिभील, निवासीकानडा, तहसील घाटोल, जिलाबांसवाड़ा

.... अपीलान्ट

बनाम

1. देवजीपिताकेशीया, जातिभील, निवासीकानडा, तहसील घाटोल, जिलाबांसवाड़ा(राज.)
2. प्रकाशपितादेवजी, जातिभील, निवासीकानडा, तहसील घाटोल, जिलाबांसवाड़ा(राज.)
3. लालापिताकेशीया, जातिभील, निवासीकानडा, तहसील घाटोल, जिलाबांसवाड़ा(राज.)
4. राजुपितालाला, जातिभील, निवासीकानडा, तहसील घाटोल, जिलाबांसवाड़ा(राज.)
5. श्रीमतीकड़वीपत्नीलाला, जातिभील, निवासीकानडा, तहसील घाटोल, जिलाबांसवाड़ा
6. विरजीपिताकेशीया,जातिभील, निवासीकानडा, तहसील घाटोल, जिलाबांसवाड़ा(राज.)
7. प्रभुपिताविरजी, जातिभील, निवासीकानडा, तहसील घाटोल, जिलाबांसवाड़ा(राज.)
8. कृष्णलालपितावागला, जातिभील, निवासीकानडा, तहसील घाटोल, जिलाबांसवाड़ा
9. रकमेश्वरपिता कृष्णलालजातिभील, निवासीकानडा, तहसील घाटोल, जिलाबांसवाड़ा
10. श्रीमतीनीमापत्नीप्रकाश, जातिभील, निवासीकानडा, तहसील घाटोल, जिलाबांसवाड़ा

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलअन्तर्गत धारा225राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम–1955विरूद्ध निर्णय उपखण्डअधिकारीघाटोलप्रकरण संख्या 17/2009दिनांक09.09.2020

–––/–––

उपस्थित(वक्तबहस)
1. श्रीयशपालगुप्ताअभिभाषकअपीलान्ट
2. श्रीजयेन्द्रपुरोहितअभिभाषकरेस्पोन्डेन्टगण

–––::–––

निर्णयदिनांक31–08–2022

प्रकरण के संक्षेपमेंतथ्यइसप्रकारहैकिअधिनस्थन्यायालय मेंहालअपीलान्ट ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियमकाप्रस्तुतकरनिवेदनकियाकिग्रामकानडामेंप्रार्थीया के खातेदारी एवंकब्जेकाश्त की आराजीनंबर 968 रकबा 1.04 हैक्टरभूमिस्थितहै, जिसमेंविपक्षीगणकाकोईहक व अधिकारनहींहोतेहुए भीविपक्षीगणप्रार्थीयासेझगडाफसादकरतेहैं, जिससेउन्हेंरोकाजानाआवश्यक है।अतः विपक्षीगणकोइसआ ाय की जरियेअस्थाईनिषेधाज्ञापाबन्दकियाजावेकिवेप्रार्थनापत्र मेंअंकितउक्तभूमिमेंजबरनप्रवेशनहींकरें एवंप्रार्थीया के उपयोगउपभोगमेंकिसीप्रकार की दखलन्दाजीउत्पन्ननहींकरें।

विपक्षीगण ने खण्डनकाजवाबप्रस्तुतकिया।अधिनस्थन्यायालय ने उभयपक्षों की बहससुनकरअपनेनिर्णय दिनांक09–09–2020 सेप्रार्थीयाकाप्रार्थनापत्र खारिजकरदिया, जिससे रूष्ट होकरअपीलान्ट/प्रार्थीया ह[illegible] 05–10–2020 कोइसन्यायालय में यह अपीलप्रस्तुत की गयीहै।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:56:21 IST
Reason: SelfAttested

अपीलदर्जरजिस्टर की जाकररेस्पोन्डेन्टगणकोतलबकियेजानेपररेस्पोन्डेन्टगण की ओरसेअभिभाषकश्रीजयेन्द्रपुरोहितउपस्थितहुए।अधिनस्थन्यायालय की पत्रावलीतलब की जाकरउभयपक्ष की बहससुनीगयी।

विद्वानअभिभाषकअपीलान्ट ने अपीलमीमोंमेंवर्णिततथ्योंकोपुनः वक्तबहसदोहराया एवंबतायाकिविवादितभूमिपैत्रृक नहींहोकरपूर्वमेंकेशिया के समस्तपुत्र हुरजी, नगजी, विरजी, देवजी, लाला व केशिया की पत्नीश्रीमतीकंकुड़ी के मध्य विधि अनुसारविभाजनकियागया एवंविभाजन की डिक्री उपखण्डअधिकारी घाटोल द्वाराप्रकरण संख्या 64/2007 मेंजारी की जाकरनगजीपिताकेशिया के हिस्सेमें खसरानंबर 968/1 रकबा 1.04 हैक्टरभूमिराजस्वरेकार्डमेंअंकित की गयीतत्पश्चात्उक्तआराजीनंबर 968 रकबा 1.04 हैक्टरनगजी ने अपीलान्ट के पक्ष मेंदिनांक 12.09.2018 कोहस्तान्तरितकरकब्जासिपुर्दकरदिया, तबसेअपीलान्टबतौर खातेदारकाबिजहै, लेकिनअधिनस्थन्यायालय ने इसओरकोईगौरनहींकियाहै।अतः अपीलअपीलान्टस्वीकारकरअधिनस्थन्यायालय कानिर्णय निरस्तकियाजावेतथाअपीलान्ट द्वाराअधिनस्थन्यायालय मेंचाहागयाअनुतोषउसेदिलायाजावे।

विद्वानअभिभाषकरेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थन्यायालय के निर्णय कोविधि सम्मतबतातेहुए अपील खारिजकरने की प्रार्थनाकी।

हमनेउभयपक्षों की बहसपरमननकिया एवंपत्रावलीकाअवलोकनकिया।अधिनस्थन्यायालय ने अपनेविवेचनमेंस्पष्ट रूपसेअंकितकियाहैकि''वादीस्वयं ने जाहिरकियाहैकिवह खातेदारकाश्तकारहोकरकाबिजहै।अतः इसप्रकरणमेंप्रतिवादीगणकीभीमौरूसीसम्पत्तिहोनेसेउनके हकप्रभावितहोतेहैं।अतः सम्यकदृष्टिकोणसेउक्तप्रकरणमेंअस्थायीनिषेधाज्ञाआवश्यक प्रतीतनहींहोनेसे धारा 212 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियमकाप्रार्थनापत्र खारिजकियाजाताहै।'' अधिनस्थन्यायालय काउपरोक्तविवेचनपत्रावलीपरउपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूपहोकरविधि सम्मतहै, जिसमेंहमउससेंकिसीप्रकारकाहस्तक्षेपकरनाउचितनहीं समझतेहैं।

अतः अपीलअपीलान्टसारहीनहोनेसे खारिज की जाकरअधिनस्थन्यायालय कानिर्णय दिनांक09–09–2020 यथावत रखाजाताहै।पत्रावलीफैसल शुमारहोकरनंबरसे कम की जावे।अधिनस्थन्यायालय की पत्रावलीलौटायीजावे।निर्णय आजदिनांक31–08–2022को खुलेन्यायालय मेंसुनायागया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवंपदेनराजस्वअपीलअधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:56:21 IST
Reason: SelfAttested